

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री समदरसिंह भाटी, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2023/1813
प्रार्थीगण

दिनांक - 12/05/2023

बनाम

अप्रार्थीगण

1 चिमाराम पुत्र पेमाराम
2 हनुमानराम 3
कुम्भाराम 4 नवलकिशोर
पिसरान चिमाराम जाति
जाट निवासी रामपुरा
गरल, गरल तहसील व
जिला बाड़मेर।


1 देवाराम पुत्र भोमाराम 2 कोहलाराम पुत्र गोरधनराम 3
छाऊराम 4 देवाराम 5 नवलाराम 6 सोनाराम पिसरान उगराराम
7 राजोदेवी पत्नी उगराराम 8 लिखमाराम 9 पूराराम 10
लाखाराम पिसरान भैराराम 11 भोमाराम 12 तुलसाराम 13
पदमाराम पिसरान नथाराम 14 जेठाराम 15 भीयाराम 16
ठाकराराम पिसरान तुलसाराम 17 सोनाराम पुत्र रेखाराम जाति
जाट निवासी रामपुरा गरल 18 मोतीराम पुत्र कानाराम जाति
जाट निवासी कुर्जा तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 233/2021

दिनांक- 18/04/23

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा रामपुरा गरल पटवार क्षेत्र गरल तहसील व जिला बाड़मेर के
खसरा संख्या 71 रकबा 0.15 बीघा, खसरा संख्या 388/70 रकबा 45.01 बीघा, खसरा संख्या
395/76 रकबा 05.10 बीघा, खसरा संख्या 399/77 रकबा 28.16 बीघा, खसरा संख्या
422/359 रकबा 13.19 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी
करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई
करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि
निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग
द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी
की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की
जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।



(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

दिनांक- 12/05/2023

क्रमांक :- रीडर/2023/1814-17

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी गरल तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड
उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. चिमाराम पुत्र पेमाराम वगैराह जाति जाट निवासी रामपुरा गरल, गरल तहसील व जिला
बाड़मेर।
4. विप्रार्थी देवाराम पुत्र भोमाराम वगैराह जाति जाट निवासी रामपुरा गरल तहसील व जिला
बाड़मेर।


उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर